**महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं**

**गृह विज्ञान विभाग**

**उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय**

**तीनपानी बायपास, हल्द्वानी**

महिला एवं बाल विकास विभाग की स्‍थापना वर्ष 1985 में महिलाओं एवं बच्‍चों के समग्र विकास के लिए अत्‍यधिक अपेक्षित प्रोत्‍साहन प्रदान करने के लिए की गई थी। इस मंत्रालय का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिला अधिकारों के बारे में जागरुकता का विकास करके तथा महिलाओं के संपूर्ण विकास हेतु उन्हें संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

**महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं**

* **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना**

****

समन्वित प्रयासों द्वारा बालिकाओं को सशक्त बनाने हेतु इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी, 2015 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त पहल के रूप में हुई थी। इस योजना की शुरुआत निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखकर की गई:

* लड़कियों के साथ भेदभाव और शिशु के जन्म पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण को रोकना।
* लड़कियों का अस्तित्व और संरक्षण को सुनिश्चित करना।
* शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा महिलाओं को उनके मूल अधिकारों के बारे में जागरुक करना।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बहुआयामी कदम उठाए जा रहे हैं:

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदम:**

* आंगनवाड़ी केंद्रों में पहली तिमाही में गर्भधारण के पंजीकरण को बढ़ावा देना;
* नई महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देना;
* लिंग समर्थन की भागीदारी;
* नेतृत्व करने वाले श्रमिकों और संस्थानों को पुरस्कार और मान्यता देना।

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदम:**

* गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 की निगरानी।
* संस्थागत प्रसव में वृद्धि।
* जन्मों का पंजीकरण।
* प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) सेल को सुदृढ़ बनाना।
* निगरानी समितियों की स्थापना

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कदम:**

* विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन सुनिश्चित करना।
* बीच में विद्यालय छोड़ने वालों लड़कियों की संख्या को कम करना।
* विद्यालयों में लड़कियों के साथ मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण व्यवहार।
* शिक्षा का अधिकार (Right to Education) अधिनियम को लागू करना।
* लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण।

**सुकन्या समृद्धि योजना** भारत सरकार की एक छोटी बचत जमा योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के एक भाग के रूप में शुरु किया गया है। यह योजना विशेष रूप से बालिकाओं के लिए शुरु की गई है। यह योजना भविष्य में लड़की की शिक्षा और शादी के खर्चों को पूरा करने के लिए होती है।

* **One Stop Center योजना**

यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो निर्भया कोष से वित्तपोषित है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में ऐसे केंद्रों को स्थापित करना है जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे एकीकृत सहायता और समर्थन मिल सके। इन केंद्रों को महिला हैल्पलाइन के साथ एकीकृत कर कई सेवाओं को उपलब्ध कराया जाता है जैसे चिकित्सकीय सहायता, पुलिस सहायता, मनो-सामाजिक सहायता अथवा परामर्श, कानूनी सहायता अथवा परामर्श, भोजन और कपड़ों के साथ आश्रय तथा पुलिस और अदालत की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा।

* **महिला हैल्पलाइन योजना**

यह भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। महिला हेल्पलाइन योजना निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शुरु की गई है:

* हिंसा / छेड़खानी / बलात्कार से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे की टोल फ्री टेलीकॉम सेवा की उपलब्धता।
* पूरे देश के लिए 181 टोल फ्री और 1091 राज्यवार टोल फ्री नंबर।
* पुलिस / अस्पताल / एम्बुलेंस सर्विसेज / जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी / सेफ्टी ऑफिसर जैसी उचित एजेंसियों की 24 घंटे की सेवा।
* महिलाओं को सरकारी सहायता सेवाओं, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
* **उज्जवला**

यह तस्करी एवं बचाव की रोकथाम तथा तस्करी एवं व्यवसायिक यौन शोषण से पीड़ितों के पुनर्वास एवं पुन:एकीकरण हेतु एक व्यापक योजना है जिसका शुभारंभ 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के मुख्य लाभार्थी वे महिलाएं और बाल पीड़ित हैं, जिनकी तस्करी व्यावसायिक यौन शोषण के लिए की गई हो। साथ ही वह महिलाएं और बच्चे भी जो इस अपराध के शिकार बन सकते हैं। इन कमजोर वर्गों में झुग्गी निवासी, सेक्स श्रमिकों के बच्चे, शरणार्थी, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित बेघर आदि शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत पीड़ितों को तत्काल राहत जैसे पीड़ितों को भोजन, आश्रय, आघात देखभाल और परामर्श के प्रावधान शामिल हैं। बाद में पीड़ितों को सशक्त बनाने और उन्हें स्वतंत्र रूप से रहने में मदद करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नौकरी और आय सृजन गतिविधियों में मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

* **कामकाजी महिला छात्रावास (Working Women Hostels) योजना**

वर्तमान समय में महिलाएं भी घर से बाहर निकलकर आय सृजन कर रही हैं। ऐसी स्थिति में महिलाओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्या है, सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर स्थित आवास की कमी। यह योजना भारत सरकार द्वारा जहां भी संभव हो, शहरी, अर्द्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं को उनके बच्चों के लिए देखभाल की सुविधा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर स्थित आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गई है।

इस योजना के अंतर्गत:

* जाति, धर्म, वैवाहिक स्थिति आदि में भेदभाव के बिना सभी कामकाजी महिलाओं को छात्रावास उपलब्ध कराया जाता है।
* इस योजना के अंतर्गत नौकरी के लिए प्रशिक्षण के तहत महिलाओं को भी शामिल किया जाता है।
* कामकाजी महिलाओं के बच्चों (लड़कियों को 18 वर्ष की आयु तक और लड़कों को 5 वर्ष की आयु तक) को इस तरह के छात्रावास में अपनी मां के साथ समायोजित किया जाने का प्रावधान है।
* **स्वाधर गृह (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना)**

यह योजना कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के लिए एक सहायक संस्थागत ढांचा तैयार करती है ताकि वे गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ जीवन यापन कर सकें। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में महिलाओं को न छोड़ा जाए जिस कारण उनका शोषण हो। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

* विपरीत परिस्थितियों में महिलाओं की आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा और देखभाल की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करना जो किसी भी सामाजिक और आर्थिक सहायता से विहीन हैं।
* दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के कारण बाधित उनकी भावनात्मक शक्ति को फिर से प्राप्त करने में उन्हें सक्षम करना।
* परिवार/ समाज में उनके पुन: समायोजन के लिए कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना। उनका आर्थिक और भावनात्मक रूप से पुनर्वास करना।
* **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार हेतु सहायता कार्यक्रम (STEP)**

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में 1986-87 से चलाई जा रही है। एसटीईपी योजना का उद्देश्य महिलाओं को वह कौशल प्रदान करना है जो उन्हें रोजगार दे सकते हैं। इस योजना द्वारा महिलाओं को दक्षता और कौशल प्रदान किया जाता है जिनके द्वारा वे स्वयं-रोजगार / उद्यमी बनने में सक्षम होंगी। यह योजना उन महिलाओं को रोजगार लाभ देने के लिए है, जो 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुदान सीधे कार्य कर रही संस्था / संगठन (गैर सरकारी संगठनों) को दिया जाता है

न कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को। एसटीईपी योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जैसे कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा, सिलाई, कढ़ाई, ज़री, हस्तशिल्प, कंप्यूटर और आईटी सेवाओं से सक्षम सेवाएं, कार्यक्षेत्र में काम आने वाले कौशल जैसे बोली जाने वाली अंग्रेजी, यात्रा एवं पर्यटन, आतिथ्य आदि।

* **महिला ई-हाट**

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 मार्च, 2016 को एक द्विभाषी पोर्टल "महिला ई-हाट" का शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल महिला उद्यमियों/स्वयं सहायता समूहों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निर्मित/दिए जाने वाले उत्पादों/सेवाओं के प्रदर्शन हेतु एक विशिष्ट प्रत्यक्ष ऑनलाइन विपणन मंच लाभकारी तकनीक है। यह महिलाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की एक पहल है। इस सेवा का शुभारंभ इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि प्रौद्योगिकी व्यवसायिक दक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे अधिकाधिक भारतीय महिला उद्यमियों / स्वयं सहायता समूहों/गैर-सरकारी संगठनों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक द्विभाषी पोर्टल होने के कारण इसका लक्ष्य महिलाओं का वित्तीय समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण करना है।

* **महिला शक्ति केंद्र**

भारत सरकार ने 2017-18 से 2019-20 तक कार्यान्वयन के लिए महिला शक्ति केंद्र नामित एक नई योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाना और एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें वे अपनी पूरी क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकें। यह योजना महिलाओं को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए तथा उन्हें प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए सरकार से सम्पर्क करने के लिए एक माध्यम प्रदान करेगी। इस योजना में सरकार की विभिन्न जन हित योजनाओं के बारे में सामुदायिक जागरुकता लाने हेतु कॉलेज के छात्रों/ एनएसएस / एनसीसी कैडर छात्रों को वॉलंटियर बनाया जाएगा। समुदायों में परिवर्तन लाने और यह सुनिश्चित करने कि महिलाएं भी भारत की प्रगति में समान साझेदार हैं, द्वारा यह योजना छात्र स्वयंसेवकों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी।

* **महिला पुलिस स्वयंसेवक**

लिंग आधारित हिंसा का जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, तांक-झांक, पीछा करना आदि दोनों ही सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं द्वारा सामना किया जाता है। यह महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा खतरा है। इन लिंग सम्बंधी मुद्दों को नीतियों, प्रोटोकॉल और परिचालन प्रक्रियाओं में एकीकृत करने के लिए पुलिस बल में महिला कर्मियों की उपस्थिति में वृद्धि, सामुदायिक पहुँच, पुलिस सेवाओं में विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक है। पुलिस बल में महिलाओं की दृश्यता बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की पहल को आगे बढ़ाया है।

* **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना**



भारत सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए इस योजना की शुरुआत की। पूर्व में इस योजना का नाम मातृत्व सहयोग योजना था जिसे बाद में बदलकर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का नाम दिया गया। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

* काम करने वाली महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना।
* गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन-पोषण के प्रभाव को कम करना।

**विस्तृत जानकारी हेतु कहाँ सम्पर्क करें;**

* इन समस्त योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी जिले के जिलाधिकारी कार्यालय अथवा समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राप्त की जा सकती है।
* सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाने हेतु कई जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं जिनमें मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेडियो, टेलीविजन, अखबारों के माध्यम से आम जनता तक इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है।
* ग्राम स्तर पर आप अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर वहाँ की सुपरवाइजर अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता से सम्पर्क कर सकते हैं।
* आप अपने क्षेत्र के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाकर एएनएम कार्यकर्ता से भी इन योजनाओं की जानकारी हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

****

**डॉ0 प्रीति बोरा**

**गृह विज्ञान विभाग**

**उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय**

**ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे**

**विश्वविद्यालय मार्ग, हल्द्वानी**

**Contact details**

**Toll Free no: 1800 180 4025**

**Website:** **http://uou.ac.in**